



2026:AHC:44482

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2955, वर्ष 2026

सत्य प्रकाश सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कृपा शंकर यादव, मोहम्मद कैस, नेहा रानी, पवन कुमार यादव, सत्यवेंद्र सिंह यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यवेंद्र सिंह यादव एवं राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 20.08.1986 को उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 31.12.2026 को सेवानिवृत्त होने वाला है। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2025 के माध्यम से, ऑडिट आपत्ति के आधार पर वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया है।
3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश इस सरल कारण से कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह एकपक्षीय है और याचिकाकर्ता को बिना कोई नोटिस दिए उसकी पीठ पीछे पारित किया गया है। उन्होंने 'भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1994) 6 एससीसी 154' के निर्णय पर भरोसा जताया है।
5. दूसरी ओर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके अनुसार, नियोक्ता के लिए उन त्रुटियों को सुधारने का विकल्प हमेशा खुला रहता है जो की गई हों। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि औचित्य की मांग यह थी कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया जाना चाहिए था।
6. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
7. स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी संख्या 4, एसएसपी अलीगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2025 के माध्यम से पुनर्निर्धारण किया गया है। आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'भगवान शुक्ला (उपरोक्त)' मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, यह निर्विवाद है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि 1991 में अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था। अपीलकर्ता पर स्पष्ट रूप से नागरिक परिणाम पड़े हैं, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे नोटिस तक नहीं दिया गया और कानून द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी पीठ पीछे आदेश दे दिया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय हानि पहुँचाई गई है। कार्यवाही में निष्पक्षता यह मांग करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी पर नागरिक परिणाम पड़ने के रूप में हो,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित आदेश (मेमोरेण्डम) दिनांक 25.7.1991 को निश्चित रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में त्रुटि की। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। "तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 17.9.1993 के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित (चुनौती दिए गए) आदेश (ज्ञापन) दिनांक 25.7.1991 को भी रद्द करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।"

8. चूंकि आक्षेपित आदेश से यह सिद्ध नहीं होता कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, इसलिए इस न्यायालय के पास उक्त आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
9. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित तरीके से तय की जाती है:
 - (क) एसएसपी अलीगढ़, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2025 को रद्द किया जाता है।
 - (ख) नए आदेश पारित करने के लिए मामला संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।
10. शीघ्र निस्तारण की सुविधा के लिए, पक्षकार संबंधित प्राधिकारी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे, जो उक्त कार्यवाही को अत्यंत शीघ्रता से तय करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तत्पश्चात, प्राधिकारी याचिकाकर्ता को सुनवाई की तारीख तय करते हुए नोटिस जारी करेंगे और यदि किसी इनपुट की आवश्यकता हो, तो वह याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर नया आदेश पारित किया जाएगा।
11. की गई कोई भी वसूली पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी।
12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।